उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : तो ठीक है। इस बिल पर चर्चा जारी रहेगी। इससे पहले जो मुरादाबाद में घटना हुई है उस सिलसिले में गृह मंत्री का वक्तव्य होगा।

STATEMENT BY THE MINISTER

The Recent Incident of Killings of Six Persons at Village Sirsawan, District Moradabad on 22nd/23rd July, 2001

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): The incident regarding killing of six persons at Village Sirsawan, PS Bhojpur, District Moradabad on the night of 22nd/23rd of July, 2001 had been raised by some hon. Members on the 24th of July. I have had the facts ascertained from the Uttar Pradesh Government.

According to the State Government, in the second half of July, there were three incidents of violence in Western Uttar Pradesh with the same *modus operandi*. In all the three cases, the attack was above the neck, on the head and face; the attack was made when the members of the families were sleeping; no distinction was made between men, women and children; metal rods and lathis were used in the attack and causing deaths was as important to the perpetrators as loot. My officers tell me that this is the *modus operandi* of certain tribes which had been notified earlier during the British period as "criminal tribes".

Of the three incidents, the one at Sirsawan was the worst. In this incident, six persons died -- three on the spot, one while being taken to hospital and two during treatment. Thirteen persons were injured. The killed and the injured were living in the two houses on the outskirts of the village. One house was occupied by Anwar, s/o Ali Muhammad and his brother, Bhure, along with their family, while the other house was occupied by Muhammad Hanif, his brother, Nabi Muhammad and family. The *modus operandi* was the same as described above -- persons were attacked on the head and face by lathis and metal rods while they were sleeping. All investigations to date point to the involvement of members of the erstwhile criminal tribes.

Another similar incident occurred in Meerut District, where on the night of 17/18th of July, three members of the family of Shri Rishipal were killed while they were sleeping in their house on the outskirts of Kasba Mawana in Meerut District. Shri Rishipal, his wife, son and daughter were beaten on the neck, head and face by lathis and metal rods.

And in the third such incident, on the night of 26/27th of July in Lakhimpur Kheri, an attack was made in which three persons were killed and 4 persons were injured in identical fashion while they were sleeping in the house of Shri Mahesh Agarwal. The *modus operandi* was the same as in the above two incidents.

In Siraswan, none of the villagers is reported to have heard any commotion or seen any of the assailants. One Sub-Inspector of Police, who was on night duty reached the place of occurrence promptly and dispatched the injured to hospital. On information, senior police officers also reached the spot at once. Combing operations were carried out. The Dog Squad was deployed as also the Field Unit. As investigations clearly indicated this to be handiwork of members of certain tribes notified earlier as "criminal tribes", all the districts where such tribes are to be found have been alerted. I must inform the House that these gangs are highly mobile and they move far across the countryside in order to commit crimes, but concerted efforts to catch the perpetrators are on. A Special Investigation Team has been constituted with two officers of the rank of Additional Superintendents of Police and a number of other police officers.

Armed forces have been deployed in the village. The Circle Officer is also camping there. Arrangements have been made for the medical treatment of the injured. The State Government has given an assistance of Rs.1.25 lakhs for the treatment. A reward of Rs.25,000 has been announced by the IG, Bareilly Zone to any person giving clues which may lead to the arrest of culprits. We shall be monitoring the action being taken.

श्रीमती सरोज दुबे (बिहार) : महोदय, सिरसावन में, जहां कि महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है स्टेटमेंट में उसकी कोई चर्चा नहीं है। **...(व्यवधान)...**

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : आप जब स्पष्टीकरण पूछें तो उसमें आप इन सब बातों का जिक्र कर सकती हैं। **...(व्यवधान)...**

श्रीमती सरोज दुबे : इसलिए तो ध्यान आकर्षित **...(व्यवधान)...**

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : आप जब स्पष्टीकरण पूछें तो उस समय आप अपनी बात रख सकती हैं। **...(व्यवधान)...**

श्रीमती सरोज दुबे : यही हम भी जानना चाहते हैं **...(व्यवधान)...**

श्री मूल चन्द मीणा (राजस्थान) : होम मिनिस्टर के स्टेटमेंट के अंदर सारी बात नहीं आई है। **...(व्यवधान)...** सब बातें गोल-मटोल करके **...(व्यवधान)...**

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : जब स्पष्टीकरण पूछेंगे तो उस समय यह बात रख

सकते हैं। ...(व्यवधान)... अभी जब मैं नाम पुकारूंगा ...(व्यवधान)...

श्री रमा शंकर कौशिक (उत्तर प्रदेश) : मान्यवर, यह हमारे जिले का मामला है। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : हां, तो जो नाम आए हैं ...(व्यवधान)...आप स्पष्टीकरण पूछना चाहते हैं तो अपना नाम दे दीजिए। मैं आपका नाम पुकारूंगा। ...(व्यवधान)... अभी आप बैठिए। ...(व्यवधान)... आप बैठिए। ...(व्यवधान)... बैठिए-बैठिए। आप स्पष्टीकरण पूछने के लिए अपना नाम दे दीजिए। मैं आपको जरूर अवसर दूंगा। जो नाम आए हैं सीरियलवाइज़ मैं आपका नाम ...(व्यवधान)...

श्री रमा शंकर कौशिक : यह हमारे जिले का मामला है।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : आप नाम तो दीजिए। आपका नाम अभी नहीं आया है ...(व्यवधान)...

श्री रमा शंकर कौशिक : नहीं, जब मैं खुद खड़ा हूं तो नाम देने की क्या जरूरत है। मैं खड़ा ही हूं। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : देखिए, स्पष्टीकरण पूछने का भी कोई प्रोसीज़र है। पहले नाम दिया जाता है। आप अभी नाम तो दीजिए। मैं आपको अवसर दूंगा। ...(व्यवधान)...

श्री रमा शंकर कौशिक : आपकी दृष्टि तो मुझ पर पड़ रही है।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : ठीक है। ...(व्यवधान)... श्रीमती सरोज दुबे। ...(व्यवधान)...

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : दूसरे हाउस में तो हो चुका है। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : नहीं-नहीं। देखिए, कभी ऐसा प्रिसीडेंट नहीं रहा कि दोनों स्टेटमेंट हो जाएं और फिर उन पर साथ-साथ क्लैरीफिकेशंज़ हों। ...(व्यवधान)...

श्री प्रमोद महाजन : फूलन देवी के विषय में ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : लेकिन क्लैरीफिकेशंज़ तो अलग-अलग ही रहेंगे।

श्री प्रमोद महाजन : हां, अलग होंगे। मैं यह सुझाव तो नहीं दे रहा हूं कि एक साथ हों। मैं तो इतना ही कह रहा था क्योंकि दूसरे सदन में वह स्टेटमेंट हो चुकी है, इसलिए कम से कम उसको सिर्फ यहां पढ़ तो दें। उसका स्पष्टीकरण अलग से जब भी आपको लेना हो तो आप ले सकते हैं। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : लेकिन उत्तर तो अलग-अलग ही देना होगा।

श्री प्रमोद महाजन : हां, स्पष्टीकरण भी अलग और उत्तर भी अलग, लेकिन स्टेटमेंट एक बार अगर पढ़ लें तो कम से कम हमको अध्ययन के लिए समय मिलेगा। ...(व्यवधान)...

श्रीमती सरोज दुबे : उसके बाद दोनों एक-दूसरे से मिल जायेंगे ...(व्यवधान)...

श्री प्रमोद महाजन : ठीक है, आपकी मर्जी।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : श्रीमती सरोज दुबे।

श्रीमती सरोज दुबे (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, यह जो स्टेटमेंट है इसमें यह बताया गया है कि एक ही जनजाति के लोगों द्वारा ऐसा लगता है कि एक ही प्रकार से हत्या की गई है। मैं माननीय गृह मंत्री जी का सिर्फ दो बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहती हूं। पहली बात तो यह है कि इसमें सिरसावन में जो घटना दी गई है। लोगों की नाक में रुई डालकर मारा गया। उन की सांस रोककर उन्हें मारा गया, इसलिए वहां पर मारने का तरीका ही दूसरा है। साथ ही वहां तीन महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ जिस में एक महिला के गर्भ में सात महीने का बच्चा था और एक बालिका को खींचकर पेड़ के नीचे ले गए जहां कि एक पुलिस अधिकारी की कैप और स्टार्स पाए गए हैं। तो महोदय, गृह मंत्री जी को जो यह रिपोर्ट तैयार कर के दी गयी है, वह आधी-अधूरी सी क्यों है? पूरी रिपोर्ट आप को क्यों नहीं दी गयी? यह बहुत ही अनुचित बात है कि गृह मंत्री जी से हम लोगों को आधी-अधूरी रिपोर्ट दिलवाई जा रही है। इसलिए महोदय इस संबंध में पूरी जानकारी चाहिए कि वह पुलिसकर्मी कौन हैं जिस के स्टार और कैप उस पेड़ के नीचे पाए गए। इस के अलावा जो ये तीन महिलाएं थीं, उन में एक गर्भवती महिला भी थी। उन के साथ जो कुछ हुआ, उन के बारे में पूरी रिपोर्ट दी जानी चाहिए। महोदय, साथ-ही-साथ मैं कहना चाहती हूं कि आप ने फतेहपुर, मुरादाबाद व अलीगढ़ का जो विवरण दिया है, यह एक कच्छा-बनियान ग्रुप की बात हुआ करती थी जोकि इसी ढंग से लोगों को मारा करते थे। ऐसी घटनाएं बहुत दिनों से होती चली आ रही है, लेकिन इस ओर सरकार का ध्यान नहीं गया क्योंकि उ.प्र. में कानून, व्यवस्था एकदम चरमराई हुई है। महोदय उ.प्र. में वहां अंधाधुंध हथियारों के लाइसेंस बांटे जा रहे हैं और राजनीति का भी बहुत ज्यादा अपराधीकरण हो गया है। मंत्री महोदय, मेरा अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश की कानून, व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बंदूक के लाइसेंस पर आप रोक लगा दीजिए ताकि लोग अंधाधुंध हथियार प्राप्त न कर सकें। उ.प्र. में महिलाओं के लिए सुरक्षा का वातावरण नहीं बन पाया है। महोदय, वहां महिला आयोग तक नहीं बना है। ऐसी स्थिति में आखिर महिलाओं पर कब तक अत्याचार चलता रहेगा? महोदय, उत्तर प्रदेश में आए दिन महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। वहां कानून, व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है और यह तो एक घटना है जो आप की नॉलेज में आ गयी है, लेकिन वहां महिलाओं को बेहद तंग किया जा रहा है, उन का उत्पीड़न किया जा रहा है। ...(व्यवधान)...

श्री रवि शंकर प्रसाद (बिहार) : बिहार में क्या हो रहा है? ...(व्यवधान)...

श्रीमती सरोज दुबे : बिहार में होगा तो बिहार की बात करेंगे। ...(व्यवधान)... अपराधियों की न तो कोई पार्टी होती है, न कोई जाति होती है। वह तो बिहार में भी अपराध करते हैं, उत्तर प्रदेश में भी करते हैं और मध्य प्रदेश में भी करते हैं ...(व्यवधान)... महोदय, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि गृह मंत्री जी इस में सीधे हस्तक्षेप करें और यह जो सिरसावन का मामला है, उस में किसी निष्पक्ष व्यक्ति, किसी रिटायर्ड जज से जांच करवाएं ताकि महिलाओं के साथ जो अन्याय हुआ है, उस की सच्चाई सामने आ सके। महोदय, इन महिलाओं को पूरा मुआवजा दिया जाना चाहिए। इन घटनाओं को रोकने के लिए इतने कड़े कदम उठाए जाने चाहिए ताकि दोबारा कोई पुलिसकर्मी जनजाति के नाम पर इस प्रकार का अत्याचार न कर सके। आप

यह सब रोकने के लिए क्या कदम उठाने जा रहे हैं? कानून, व्यवस्था लागू करने के लिए वहां की सरकार को क्या हिदायत दे रहे हैं? हथियार जो जगह-जगह बांटे जा रहे हैं उन को रोकने के लिए क्या कदम उठाने जा रहे हैं? यह सब मैं जानना चाहती हूं।

श्रीमती जमना देवी बारूपाल (राजस्थान) : महोदय, जब भी महिलाओं के बारे में इस तरह की दर्दनाक घटना होती है, माननीय सदस्य बीच में न बोलें ...(व्यवधान)...

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तरांचल) : आप की बात सही है। मैं आप से सहमत हूं। ...(व्यवधान)...

श्रीमती जमना देवी बारूपाल : तो फिर क्यों बोलते हो बीच में?

श्री खान गुफरान ज़ाहिदी (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी के बयान को देखने से बड़ी मायूसी हुई है और यह इस वजह से कि यह जितने मर्डर्स सिरसावन में हुए उन में सब से गरीब लोगों को मारा गया जो कि आउटस्कर्ट पर थे और जिन के घरों पर दरवाजे तक नहीं थे। उन की नाक में क्लोरोफॉर्म या कोई इस तरह की चीज दी गयी कि मारते वक्त कोई दूसरा आदमी जागने न पाए। इस में मोडस ओपरेंडी जो भी थी, जिस का माननीय गृह मंत्री जी ने जिक्र किया कि उन की मोडस ओपरेंडी यह है कि उन्होंने कुल्हाड़ियों और सरियों से मारा। तो वहां लूट कोई नहीं हुई, यह एक बात है और दूसरी बात यह कि पे सब अनड्रेस्ड पाए गए, लेकिन इस में अनड्रेस्ड का कहीं जिक्र नहीं आया जब कि डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है कि सभी बॉडीज अनड्रेस्ड आईं और उन की नाक से रुई निकली। तीसरी बात, इस में रईस जिस की उम्र 20 वर्ष है, मारा गया। हनीफ, उम्र 45 वर्ष है, मारा गया और डेढ़ वर्ष की बच्ची मुबीना को आधा काट दिया गया। 8 बरस की बच्ची तरन्नुम के साथ यह हुआ। अभी सरोज जी ने जिस हमले का जिक्र किया है, शाहजा को रस्सी से पहले बांधा गया और फिर उसके साथ रेप किया गया। मैं कोई दर्दनाक कहानी बयान करके आपका समय नहीं लूंगा लेकिन इस सारी कमेटी ने इस सारे वाकये को कंडम किया है और the fabric of national unity is there, यह खुशी की बात है। महोदय, हैरत की बात यह है कि वाक्ये के 11 दिनों के बाद भी आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। यह समझ में नहीं आ रहा है। आपने इसमें तीन वाकये और जोड़ दिए कि यह कार्यप्रणाली थी। यह जो ट्राइबल वाला केस है, हम 23 तारीख को वहां गए और 24 तारीख को हमने यहां हाजिर होकर मोशन मूव किया। तो 23 तारीख को भी यही बात कही गई। वैसे तो 3-3 दिन हो जाते हैं लेकिन पुलिस डकैती और मर्डर के बाद पहुंचती नहीं है, लेकिन माननीय गृह मंत्री जी, यहां एक घंटे के अंदर पुलिस आई और undressed लाशों को वैसे ही ले गई लेकिन आज 10 दिन गुजरने के बाद भी जो कपड़े वहां पड़े हुए हैं, जो फर्स्ट ऐविडेंस होते हैं, जो लोग मारे गए हैं उनके तकिए, गिलाफ, सामान, खून, वे आज भी वहां पड़े हैं, अभी तक पुलिस ने ऐविडेंस कलेक्ट नहीं किया है, यह हैरतअंगेज बात है।

दूसरी बात यह है कि यह फोटोग्राफ अखबारों में छपा है "अमर अजाला" में छपा है और शायद "जागरण" में भी छपा है। "जागरण" ने खुद लिखा है कि वहां लाठीचार्ज हुआ। जब पुलिस वालों को पता चला कि वहां दो-तीन चीजें छूट गई हैं जिनको फौरन वहां से उठाया जाना चाहिए तो वहां मजमा जमा हो गया तो लाठीचार्ज करके उनको वहां से हटाया गया और वहां जो सामान पड़ा हुआ था ऐविडेंस का, उसे हटा दिया गया।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से गुज़ारिश करता हूं कि कम से कम इस वाकये की, जो सिरसावन में हुआ है, जिसे हर कम्युनिटी के लोगों ने कंडम किया है, इसकी छानबीन के लिए जुडिशियल इंक्वायरी जज के जरिए करानी चाहिए। इसमें एक साथ 6 आदमी मरे हैं और 13 में से 6 आदमी क्रिटिकल कंडीशन में हैं। इससे पहले के जो वाकयात हुए हैं जिनका जिक्र आपने अपनी स्टेटमेंट में खुद कर दिया है, मेरठ का कर दिया है और दूसरी जगहों का कर दिया है इसकी कार्यप्रणाली बताने के लिए, यह बहकावा है, यह केस को घुमाना है। सच्ची बात यह है कि इतने आदमियों के मरने के बाद किसी की गिरफ्तारी न होना यह बड़ी शर्मनाक बात है। सारी कमेटी उसको कंडम कर रही है। पुलिस का कोई ऐक्शन इस बारे में नहीं हुआ है, यह अपने आप में तकलीफ का सबब है। मैं चाहता हूं कि इसकी जुडिशियल जज द्वारा जांच कराई जाए ताकि सच्चाइयां सामने आएं, ताकि पता चले कि एक घंटे में पुलिस की promptness ने क्या किया है। वह पुलिस इंस्पैक्टर सबसे कहता है कि मैं पहुंच गया था, मैं वहां पर दौरा कर रहा था, मेरी गाड़ी उसी सड़क पर थी। सड़क से केवल 15 फीट की दूरी पर दाहिनी ओर यह वाकया हुआ है और 100-150 गज पर दूसरी साइड पर हुआ है और वह वहां पर दौरा कर रहा था और वह एक घंटे के अंदर पहुंचा, लाशें रखीं और लेकर चला गया। उसका यह व्यवहार संदिग्ध है। कभी-कभी तो prompt न होना संदिग्ध होता है, यहां उसने इतनी promptness दिखाई जो संदिग्ध लग रही है। इसलिए जब तक इसकी जांच हाईकोर्ट के जज के जरिए नहीं होगी, तब तक सच्चाइयां सामने नहीं आएंगी। यह इंसानी मर्डर है, कम्युनिटी में न जाएं तो इंसानों के मर्डर की दृष्टि से भी यह फैसला लेना चाहिए और लॉ ऐंड ऑर्डर का जो सूरते-हाल है, आपकी खास तवज्जह जब तक उस ओर नहीं होगी तो जो यह सिलसिला चल रहा है, हो सकता है कि इलेक्शन के वक्त तक यह और बढ़ जाए, इसलिए इसकी फौरन जांच होना जरूरी है। मैं इन अलफाज़ के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं और यह क्लैरिफिकेशन चाहता हूं कि पुलिस इतनी prompt कैसे है और अगर prompt नहीं है तो गिरफ्तारी में नहीं है, इस केस की गुत्थी को खोलने में नहीं है। धन्यवाद।

श्री रमा शंकर कौशिक (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा अफसोस है कि माननीय गृह मंत्री जी का मुरादाबाद की घटना के बारे में जो बयान आया है, उसमें तथ्यों को भी ठीक प्रकार से नहीं रखा गया है। जो वास्तविक घटना वहां पर हुई है, उसको तो कम से कम गृह मंत्री जी को अपने बयान में दर्ज़ करना चाहिए था लेकिन कोशिश यह की गई है कि इस घटना को केवल आपराधिक जातियों की लूटपाट और हत्या का रूप देकर इस बात को खत्म कर दिया जाए। श्रीमन्, आपके माध्यम से मुझे माननीय गृह मंत्री जी से कहना है कि लूट नाम की कोई चीज ही वहां नही हुई, वहां किसी प्रकार की कोई लूट नहीं हुई। जो लोग वहां मारे गए हैं वे इस लायक नहीं थे कि उनको लूटा जा सके, क्योंकि वे बहुत गरीब लोग थे और किसी ढंग से वे अपना पेट भरते थे। इसलिए लूट का कोई सवाल नहीं था और दूसरे जिसके पास थोड़ा बहुत था उसने देने की कोशिश की कि यह लो पैसा मेरी जान बख्श दो। किसी के पास जो थोड़ा बहुत पैसा था भी उसने भी यह बात कही। तो वहां लूट तो किसी प्रकार से हुई नहीं। न वहां सामान की लूट हुई क्योंकि सामान उनके घरों में था ही नहीं, पैसा उनके घर में था ही नहीं। तो लूट की बात कह कर इस बात पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है, यह मेरा कहना है। दूसरे, मेरा यह कहना है कि जो वहां हुआ है, जो घटनाएं वहां हुई हैं जिस प्रकार से वास्तविक स्थिति वहां पूर थी वह भी इस बयान में कहीं दर्ज नहीं की गई है कि लड़की के साथ क्या हुआ और वे लड़की को कहां ले गए, किस प्रकार से महिला के साथ हुआ वह भी सब इसमें दर्ज नहीं

है। तो श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अपने स्तर से वह और जांच करें। यह जो रिपोर्ट आपको वहां से मिली है यह बिल्कुल आधी अधूरी है और तथ्यों से परे है और किसी भी प्रकार से इसमें लूट का कोई प्रश्न नहीं है। इसमें पुलिस की संलिप्तता का मामला जो लोगों ने देखा है वह उठाया है, उस पर भी उचित जांच करें। जैसा हमारे गुफरान जाहिदी साहब ने कहा कि वाकई यह एक ऐसा हादसा है जिसकी आपको जुडिशियल जांच करानी चाहिए। धन्यवाद।

श्री नरेन्द्र मोहन (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जी, जो कुछ भी हुआ है मुरादाबाद जिले में वह एक गंभीर चिंता की बात है। चिंता की बात इसलिए है क्योंकि उससे एक विश्वास का संकट भी उत्पन्न होने की संभावना हो जाती है। केवल यह कह कर के बात नहीं बनती कि एक क्रिमिनल ट्राईब्स ने यह काम किया, यह एज्यूम कर लीजिए कि क्रिमिनल ट्राइब्स से यह काम हुआ। लेकिन लूट तो नहीं हुई कोई। सबसे खास बात यह है कि इसमें लोग घायल भी हुए हैं जबकि ट्राइब्स इस तरह के काम करते हैं। जिस पर वे हमला करते हैं उसको कत्ल कर देते हैं और उसको जीवित नहीं छोड़ते तथा उसको जान से मार देते हैं लेकिन यहां घायलों को भी छोड़ा गया है। इसलिए यह घटना कैसे हुई है इस पर प्रकाश डाला जाना चाहिए। इसमें एक बात रह गई है कि जो लाठी चली है, लाठीचार्ज हुआ या नहीं हुआ, पुलिस ने क्या खत्म किया यह जानकारी शायद राज्य सरकार ने नहीं पहुंचाई। इसकी भी जांच होनी चाहिए। मुरादाबाद की घटना तो आपने 22 और 23 की बताई है। उससे पहले 17, 18 जुलाई को मेरठ जिले में हुई है। अब उसके बाद 26-27 को लखीमपुर खीरी जिले में। तो 17-18 जुलाई को मेरठ में जो घटना हुई और अगर वहां क्रिमिनल ट्राइब्स सक्रिय हो गए थे तो हम जानकारी चाहते हैं कि क्या राज्य सरकार के द्वारा आसपास के राज्यों में एलर्ट कर दिया गया था कि क्रिमिनल ट्राइब्स सक्रिय हो गए हैं तथा अन्य जिलों में भी ऐसी वारदात हो सकती है? अगर राज्य सरकार ने सक्रियता नहीं दिखाई तो क्या कारण था? मामला गंभीर है और सबसे ज्यादा गंभीर मामला मुरादाबाद का है। उचित यह होगा कि इस मामले की विस्तृत जांच हो। यह विस्तृत जांच कैसे हो, कौन करे? विश्वसनीयता का संकट उत्पन्न नहीं होना चाहिए। यह एक गंभीर मामला है जिसे क्रिमिनल ट्राइब्स के मामले तक सीमित करने से यह शायद बात बनती नहीं है, ऐसा मेरा विचार बनता है। मैं आदरणीय गृह मंत्री जी से चाहूंगा कि कृपा करके मुझे बताएं कि क्या यह केवल क्रिमिनल ट्राइब्स का मामला है या और कोई मामला भी हो सकता है उनकी दृष्टि में। उनकी खुफिया एजेंसी ने और जानकारी भी दी है या केवल राज्य सरकार की जानकारी के आधार पर ही यह जानकारी है? अगर पूरी बात सामने आ जाए तो अच्छा होगा।

श्री जनेश्वर मिश्र (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, हमें लगता है कि यह रिपोर्ट सही नहीं है। आप समय लेकर दुबारा से रिपोर्ट राज्य सरकार से मंगवा लीजिए जिससे कि उस पर विस्तार से बहस हो सके, क्योंकि यह सबसे गरीब आदमियों की हत्या का सवाल है और सदन इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी न ले तो अच्छा नहीं होगा।

श्री भूल चन्द मीणा (राजस्थान) : उपसभाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी का वक्तव्य आया है और इसमें तीन घटनाओं का जिक्र किया गया है। हम मुरादाबाद की घटना होने के छह दिन बाद वहां पर गये थे। हमने वहां का वातावरण देखा था। उसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे काश्मीर में अफगानिस्तान, पाकिस्तान से कई लोग आकर काश्मीर में गरीब लोगों पर अत्याचार करते हैं, वैसे ही अत्याचार की दु:खद घटना मुरादाबाद में हुई है। किन लोगों ने इस घटना को

किया है इसके बारे में जांच होनी चाहिए क्योंकि वहां पर पैसा लूटा नहीं गया है। ये तो गरीब लोग थे, ये रोज कमाकर खाते थे। ऐसे लोगों की हत्या मानव नहीं कर सकता है, यह तो निर्दयी लोगों ने की है। जब हम वहां पर गए थे तो पुलिस प्रशासन का डीआईजी लेवल का अधिकारी हमारे साथ था। उससे जब इस घटना के बारे में हमने पूछा तो वह कांप रहा था। इससे लगता है कि कहीं न कहीं वे दोषी तो नहीं है, वहां की पुलिस अपराधियों से मिली हुई तो नहीं है। इससे एक बात स्पष्ट होती है कि यह एक जगह की घटना नहीं है। गृह मंत्री जी ने तीन जगह की घटनाओं का जिक्र किया है, अलीगढ़ में भी घटना हुई है और कानपुर में भी घटना हुई है, सारी यू.पी. में इस तरह की घटनाओं का होना कोई प्लान तो नहीं है कि लोगों को टैरर किया जाए क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं। वहां गरीब लोगों को डराया जा रहा है कि वे वोट डालने नहीं जायें। ...(व्यवधान)...

श्री नरेन्द्र मोहन : उपसभाध्यक्ष महोदय, इसमें चुनाव की बात को नहीं लिया जाए। ...(व्यवधान)... इसमें राजनीति न लायी जाए। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि वे इसमें राजनीति न लायें। यह गंभीर घटना है और इसकी वहीं तक चर्चा की जाए। ...(व्यवधान)...

श्री खान गुफ़रान ज़ाहिदी : सर, यह सीधा-सीधा इंसानियत का केस है, इंसानी सवालों पर है, इंसान मरे हैं, इंसान जख्मी हुए हैं, इंसान मारे गए हैं इसलिए उसी लाइन पर बहस करने से अच्छा फैसला निकलेगा, अच्छा नतीजा निकलेगा। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : मीणा जी आप बोलिए।

श्री मूल चन्द मीणा : सर, मैं टैरर की बात कह रहा था। यह टैरर कहीं दूसरे उद्देश्य को लेकर तो नहीं है। गृह मंत्री जी आपको राज्य सरकार ने जो रिपोर्ट दी है वह तथ्यों से परे हैं और इसमें तथ्यों को छोड़ दिया गया है। यह आधी-अधूरी रिपोर्ट है। आप जांच की बात कह रहे हैं। वहां के लोगों को तो पुलिस पर विश्वास ही नहीं है। आप पुलिस जांच करा रहे हैं यह अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगो ंको बता दिया, यह सब गलत बात है। इस तथ्य को मोड़ा नहीं जाए। इस घटना को करने वाले लोगों के बड़े हाथ हैं, उनको उन लोगों का संरक्षण प्राप्त है। उनको किन लोगों का संरक्षण प्राप्त है इसका तभी पता लग पायेगा जब इसकी न्यायिक जांच करवाई जाए। न्यायिक जांच करवाने की मांग ज़ाहिदी साहब ने भी की है। न्यायिक जांच से साफ हो जाएगा कि इतने निर्दयी लोग कौन हैं जिनके अंदर मानवता नहीं है। वहां पर छह साल की लड़की के दो टुकड़े कर दिए गए, इसका क्या मतलब है। आपने बताया है कि अनवर नाम का एक लड़का बचा है। वह लड़का कह रहा था कि मैं ऊपर सो रहा था, मेरे मां-बाप नीचे सो रहे थे और जब मेरे चाचा के घर में शोरगुल हो रहा था तो मैं ऊपर से नीचे आया तो मां-बाप को मरे हुए पाकर मैं घर छोड़कर गांव की ओर भाग गया। उन्होंने उसको आवाज दी लेकिन वह रूका नहीं। उसके बाद में उस लड़के ने एक बात जरूर बताई कि पुलिस वालों ने उसको डांटा कि तुम चुप रहो। इसमें कहीं न कहीं कोई बात है। इसलिए इसकी न्यायिक जांच करवाई जाए जिससे लोगों में विश्वास पैदा हो जाए। जिस प्रकार का अत्याचार मुरादाबाद में हुआ है ऐसी घटना तो जम्मू-काश्मीर में भी नहीं घटती होगी कि गरीब लोगों को इस तरीके से मारा जाये। उनको ऐसी दवाई सुंघा दी जाती है जिससे उनको होश ही न रहे, उनको मारते रहो तो वे चिल्ला भी नहीं सकते। यह बहुत ही दर्दनाक घटना थी। उनके घर को देखें, उनकी स्थिति को

देखें, उनके कपड़ों को देखें। जो लोग मारे गए थे उनके कपड़े छह दिन तक खून से सने हुए पड़े थे। जो लोग मरे हुये थे, उनके कपड़े वहीं पड़े थे। यह कैसी जांच पुलिस कर रही है? जो तथ्य थे, जो साक्ष्य थे, वह साक्ष्य पड़े हुए हैं, उनको पुलिस ने अपने हाथ में नहीं लिया। इससे यह लगता है कि वहां पर यह जो घटना हुई है, इसमें कहीं प्रशासन तो इनवॉल्व नहीं है? इसलिए जब इसकी न्यायिक जांच होगी तब ही सही पता चल पाएगा और लोगों को वास्तविक न्याय मिल पाएगा। धन्यवाद।

श्री नागेन्द्र नाथ ओझा (बिहार) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का बयान यहां से शुरू होता है कि हाऊस में मुरादाबाद की घटना के बारे में सवाल उठाया गया था, राज्य सरकार से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी गयी और वहां से रिपोर्ट मिली। लेकिन मुझे मंत्री महोदय का बयान सुनकर ऐसा लगता है कि एक घटना के साथ दो अन्य घटनाओं का भी ब्यौरा यहां दे दिया गया, सिर्फ यह साबित करने के लिए कि यह किसी ट्राइब का कारनामा है। और यहीं से मुझे यह संदेह होता है कि यह जो स्टेटमेंट है, इसमें सच्चाई नहीं है। इसके लिए राज्य सरकार दोषी है, गृह मंत्री दोषी नहीं हैं क्योंकि उन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर इनका स्टेटमेंट आया है। जब मैंने यह मान लिया कि इस रिपोर्ट में सच्चाई नहीं है तो इस हिसाब से मेरा कोई सवाल नहीं रह गया था, लेकिन फिर भी दो तीन प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं। पहला तो यह कि ब्रिटिश सरकार ने जिस ट्राइब को क्रिमिनल ट्राइब घोषित किया था, जो जातियां ब्रिटिश हुकूमत के समय में बागी जातियां थीं, क्या अभी भी हमारी हुकूमत में पचास वर्षों के बाद भी वह जातियां क्रिमिनल ट्राइब्स के रूप में जानी जाती हैं और अगर ऐसा है तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर मंत्री महोदय का क्लैरीफिकेशन चाहिए क्योंकि आज़ाद भारत में हमारी कोई भी जाति, कोई भी ट्राइब अगर क्रिमिनल ट्राइब के रूप में जानी जाती है तो यह हमारे ऊपर एक कलंक है। इसके बारे में क्लैरीफिकेशन चाहिए। हमारे गृह मंत्री जी राज्य सरकार के इसी बयान को सही मानकर अगर हाउस में चले आते हैं तो मेरा सिर्फ एक और प्रश्न है कि क्या आप जुलाई के दूसरे पखवाड़े की ही घटनाओं को लेंगे या जून और जुलाई दोनों की घटनाओं को लेंगे? एक घटना घटती है जहां गढ़ेड़ियों का एक दल 600-700 भेड़ों को लेकर जा रहा है। कुछ लोग आते हैं, सात गढ़ेड़ियों को किडनैप कर लेते हैं, उनको एक कुएं के अंदर डाल देते हैं और वे सातों मर जाते हैं। फिर गढ़ेड़ियों के दूसरे दल ने भेड़ हांककर ले जाते हुए इस गिरोह को पकड़ा तो उनमें से एक पकड़ा गया और उसने बताया कि यहां उन लोगों की लाशें हैं, यहां उन लोगों को डाला गया है। उस संबंध में एफ.आई.आर. भी हुई है। पुलिस वहां गयी, लाशें मिलीं। क्या गृह मंत्री जी बताएंगे कि किस ट्राइब ने यह हीनीयस क्राइम किया? दूसरी घटना घटती है तेजनिया के साथ फतेहपुर के किसी गांव में। जिसके परिवार पर बहुत लम्बे अर्से से अत्याचार किया जा रहा था। अत्याचार विरोधी कानून के अंतर्गत ...(व्यवधान)...

श्री नरेन्द्र मोहन : घटना पर ...(व्यवधान)...

श्री नागेन्द्र नाथ ओझा : मुझे सुन लीजिए, आप घबराइए मत। ...(व्यवधान)... आपको क्या हो रहा है? मैं चेयर से बोल रहा हूं। ...(व्यवधान)...

श्री नरेन्द्र मोहन : मैं आपको जानकारी दे रहा हूं।

श्री नागेन्द्र नाथ ओझा : आप तो बहुत कुछ अखबारों में लिखते हैं, वह सारी बातें लिखने से क्या फायदा? मुझे बोलने तो दीजिए। मेरा केवल एक ही प्रश्न है। इस संबंध में

अत्याचार विरोधी कानून के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जाता है - मेरे गांव का नाम मेरे पास है - और उस पर बिगड़कर स्थानीय विधायक जो मंत्री है, वह पुलिस पर कार्यवाही न करने का दबाव डालते हैं। पुलिस कार्यवाही नहीं करती है। तेजनिया पर दबाव पड़ता है कि वह मुकदमा वापिस ले ले। वह मुकदमा वापिस नहीं लेती। मुख्य अभियुक्त उसको खोजते हुए जाता है, वह खेत में अपनी बेटी की बेटी यानी नातिन के साथ काम करते हुए मिलती है। मुख्य अभियुक्त अपने गुंडों के साथ मिलकर दोनों को मार देता है। फिर वह उसके घर पर जाता है जहां उसकी बहू अपने डेढ़ साल के लड़के को नहला रही है। वह लड़के को उठाकर पटक कर मार देता है, लड़का वहीं मर जाता है। बहू को भी मार देता है और फिर तेजनिया की दूसरी लड़की आती है, वह उसको भी मार देता है। पांच लोग मारे जाते हैं। रातों-रात पोस्ट मार्टम हुआ। डी.एम. ने डेढ़ लाख का चैक तेजनिया के पति को दिया। वह उन लाशों को घर ले जाना चाहता था। सारे मामले को रफा-दफा करने के लिए 3 लाख 75 हजार का एक और चैक दिया जाता है। क्या गृह मंत्री बताएंगे कि इस प्रकार के हीनियस क्राइम के पीछे कौनसी ट्राइब थी? यह लगातार चलता रहा। मई, जून, जुलाई और अभी भी यह हमले जारी हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर दलित जातियों, माइनारिटीज और आदिवासी लोगों के साथ, मिर्जापुर से लेकर आजमगढ़, बनारस, कानपुर, मेरठ, इलाहाबाद के कई गांवों के अंदर जो अत्याचार की घटनायें हो रही हैं, यह कहीं न कहीं प्रशासनिक फेल्योर और हमारी केंद्रीय सरकार के कम हस्तक्षेप की बदौलत हो रहा है। इसलिए हमारा भी आग्रह है, जैसाकि मिश्रा जी ने कहा कि गृह मंत्री अपने स्तर पर हस्तक्षेप करें, केंद्रीय सरकार अपने स्तर पर इसमें इस्तक्षेप करे और मामला सुलझाए जिससे कि सही रास्ते पर वहां की प्रशासनिक मशीनरी आए और वहां पर इस प्रकार की घटनायें न घटें। महोदय, यह किसी सरकार या किसी पार्टी की सरकार का मामला नहीं है। यह देश के ऊपर कलंक का मामला है। यदि इस तरह की हर घटना दूरदर्शन पर आकर, अखबारों में स्थान पाकर दुनिया के हर कोने कोने में जाती है तो हम समझते हैं यह देश की छवि के लिए ठीक नहीं है। इसलिए, जैसा मिश्रा जी ने सुझाव दिया, मैं भी कहना चाहता हूं कि सरकार फैक्ट इकट्ठा करके इस स्थिति पर एक मुकम्मल स्टेटमेंट लाये।

श्री गांधी आजाद (उत्तर प्रदेश) : धन्यवाद महोदय। महोदय, मंत्री जी के जवाब के पैरा 2 में आखिरी लाइन में आया है कि हमारे अधिकारियों ने बताया है कि यह कार्यप्रणाली कुछेक जनजातियों की है जिन्हें ब्रिटिश काल में पहले आपराधिक जनजातियों के रूप में घोषित किया गया था। इस बात को इनके अधिकारियों ने और पुख्ता करते हुए छठवें पैराग्राफ में और स्पष्ट कर दिया है। इसमें कहा गया है कि जांच-पड़ताल से स्पष्ट रूप से यह पता चला कि यह कार्य कुछेक जनजातियों का है जिन्हें पहले आपराधिक जनजातियां घोषित किया जा चुका है, उन सभी जिलों को सावधान कर दिया गया है जिनमें इस प्रकार की जनजातियां पायी जाती हैं।

मैं मंत्री जी के माध्यम से यह रिपोर्ट देने वाले अधिकारियों से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं जिन में इस प्रकार की आपराधिक जनजातियां रहती हैं और इन जनजातियों की संख्या क्या है? महोदय, हमारा मानना है कि ये अधिकारी अपनी कर्तव्यपरायणता का परिचय दे रहे हैं और अपने कारनामों पर पर्दा डालने के लिए इस प्रकार से जनजातियों पर आरोप लगा रहे हैं। महोदय, आज लूट और हत्या की जो प्रवृति बढ़ी है, इसके बारे में हमारा यह स्पष्ट कहना है कि आज साधन बदल गए हैं, हर प्रकार के वेपन्स, हथियार बदल गए हैं और आज जो ये आपराधिक घटनायें हो रही हैं, ये जनजातियों द्वारा नहीं हो रही हैं, हमारा तो स्पष्ट

कहना है कि इस प्रकार की ज्यादातर घटनायें अगर हो रही हैं तो वह सवर्ण जातियों के आपराधिक प्रवृतिवाले लोगों द्वारा हो रही हैं।

श्री नरेन्द्र मोहन : इस प्रकार का आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए कि सवर्ण जाति वाले अपराध करा रहे हैं। जो तथ्य है उनको कहिए। ...(व्यवधान)...

श्री गांधी आजाद : मैं कह रहा हूं कि सवर्ण जाति के आपराधिक प्रवृति वाले लोग यह करा रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्री नरेन्द्र मोहन : बिल्कुल गलत बात है। ...(व्यवधान)... ऐसी बात नहीं है जैसा ये बता रहे हैं। ...(व्यवधान)... यह आप राजनीति कर रहे हैं। ...(व्यवधान)... उपसभाध्यक्ष जी, यह केवल राजनीति की जा रही है जो इस तरह से गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : गांधी आजाद जी, आप चेयर को एड्रेस करिए और जिस विषय में हम बहस कर रहे हैं, जिस मुद्दे पर वक्तव्य आया है, कृपया उसी मुद्दे पर आप बात करें।

श्री गांधी आजाद : मैं कहना चाहता हूं कि आपराधिक प्रवृति की जनजातियां, ऐसा कहकर अनायास उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मेरा यह स्पष्ट मानना है कि जो अपराध हैं वे जनजातियों द्वारा नहीं किए जा रहे हैं, गरीबों द्वारा नहीं किए जा रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से फिर दोहराना चाहता हूं कि सवर्ण जाति के आपराधिक प्रवृति वाले जो लोग हैं, उनके द्वारा यह किया जा रहा है। ...(व्यवधान)...

श्री राजनाथ सिंह "सूर्य" (उत्तर प्रदेश) : जो अनुसूचित जाति के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं वे यहां पर इस तरह की बातें कर रहे हैं ...(व्यवधान)... इनकी पार्टी के लोग उनके साथ खुद ही अत्याचार कर रहे हैं और यहां पर इस तरह की बातें कर रहे हैं। ...(व्यवधान)... उपसभाध्यक्ष जी, यह जो बयान है, यह जिस संदर्भ में है, उसी संदर्भ में इसको प्रस्तुत किया जाना चाहिए। न कि इस प्रकार से राजनीतिकरण होना चाहिये। इस तरह से भाषण करेंगे तो हम बताएंगे कि यह क्या करते हैं, कितने अपराधी लोगों को टिकट दे करके, एम.एल.ए. बना करके, एम.पी. बना करके खड़ा कर रखा है, यह अभी हम बता सकते हैं। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : ठीक है, बैठिये।

श्री गांधी आजाद : क्यों नहीं जातिवाद खत्म कर देते हैं? दम है तो क्यों नहीं खत्म कर देते हैं? क्यों जातिवाद फैला हुआ है? क्यों नहीं खत्म कर देते हैं। किसने बनाई हैं यह जातियां, क्यों नहीं खत्म कर देते हैं (व्यवधान) आज ट्राइब को तो अपराधी कहा जा सकता है और सवर्ण के अपराधी को अपराधी नहीं कहा जा सकता है। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : चलिये अभी जिस संदर्भ में वक्तव्य दिया गया उसी पर चर्चा करिये। ...(व्यवधान)... किसी जाति विशेष पर आप आरोप मत लगाइये। आप वक्तव्य के संदर्भ में अपनी बात कहिये और जो स्पष्टीकरण पूछना है पूछिये। ...(व्यवधान)...

श्री गांधी आजाद : महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब एक माननीय गृह मंत्री जी का यह बयान आ रहा है कि आपराधिक जनजातियों को लांछन लगाया जा रहा है यह लांछन

227/RS—21B

नहीं है तो और क्या है। ...(व्यवधान)... मैं उसी बात को कह रहा हूं कि यह उनका कर्त्तव्य नहीं है बल्कि यह सवर्ण जातियों की आपराधिक प्रवृति का द्योतक है, ...(व्यवधान)... उनका कर्त्तव्य है ...(व्यवधान)...

श्री राजनाथ सिंह "सूर्य" : जो बयान है उसके तथ्यों के आधार पर कहना चाहिये अन्यथा हमें भी अवसर मिलना चाहिये कि यह क्या कर रहे हैं, उसका मैं सदन में खुलासा करूं। आप अपनी पार्टी के ही अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : जब आपका अवसर आएगा तब आप अपनी बात कहिये।

श्री गांधी आजाद : मैं इस बात को और स्पष्ट करना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में अपराध एवं ओपराधिक घटनाएं चरम सीमा पर बढ़ चुकी हैं। आजकल इतने ज्यादा अपराध बढ़ रहे हैं कि खास तौर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग और पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यक समाज में त्राहि-त्राहि मची हुई है और उत्तर प्रदेश में स्वच्छ छवि निखारने के लिए यहां तक थानों को निर्देश है कि डकैती हो रही है, कत्ल हो रहे हैं, व्यभिचार और बलात्कार किये जा रहे हैं, मर्डर तक हो रहे हैं लेकिन थानों में एफ.आई.आर. तक दर्ज नहीं की जा रही हैं। स्वच्छ छवि निकालने के लिए कहा जा रहा है कि इस दौरान अपराध में कमी आये और इसलिए एफ.आई.आर. दर्ज नहीं होने दिया जा रहा है। इस प्रकार के नाना प्रकार के उदाहरण मैं दे सकता हूं। आपको मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं जौनपुर में ...(व्यवधान)...

श्री राजनाथ सिंह "सूर्य" : अगर आप दायरा बढ़ाएंगे तो हमें भी अवसर मिलना चाहिये अगर दायरा बढ़ेगा तो और बातें हमें कहनी पड़ेंगी। इसलिए जो विषय है उस पर बात होनी चाहिये। ...(व्यवधान)...

श्री मूलचन्द मीणा : सही बात आपको सुननी चाहिये। **(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : आजाद जी, मुरादाबाद जिले में घटना हुई है उसके संदर्भ में जो गृह मंत्री जी का वक्तव्य है उस वक्तव्य की परिधि में आप अपना स्पष्टीकरण पूछिये।

श्री गांधी आजाद : उसी वक्तव्य की परिधि में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो बयान है यह सरासर गलत है, इसमें कोई तथ्य नहीं है, तथ्यों को छिपाया गया है, तोड़ा गया है, मरोड़ा गया है और इससे ज्यादा असत्य कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैं मंत्री जी से चाहता हूं कि फिर से इसकी जांच करवा करके मंगा करके, सदन में पुन: सही बयान देने का कष्ट करें। धन्यवाद।

SHRI M.P. ABDUSSAMAD SAMADANI (Kerala): Sir, only with bleeding hearts, we will not be able to refer to this very unfortunate and painful incident. But, it is more unfortunate that after such a heinous crime has taken place, no action has been taken against the culprits even after so many days. Sir, I think, the most important part of the hon. Home Minister's statement is that part which refers to the criminal tribe.

I was thinking of emphasising on that point, but my two other

2927 RS-21A

colleagues have already mentioned it. Sir, after fifty years of freedom, how does such a thing happen in the country? We would like to know from the hon. Home Minister. The hon. Minister, in his statement, has clearly stated that the British had named them as criminal tribes. After passing through the path of freedom, democracy, civil liberties and human rights, we are speaking of the rights and privileges of the oppressed and the suppressed classes of our country.

Sir, life and safety are the very basic human rights of the oppressed and suppressed classes in the country, and they are in danger. We would like to know from the hon. Minister as to why the police have not taken any action on this. I am emphasising the point made by the hon. Member, Zahidi Saheb. As he has pointed out, not only nobody was arrested, but all the proof which were there, which would have been helpful in finding out the criminals who had committed this heinous crime, have been spoiled and destroyed. This kind of a state of affairs was created.

We expect from you, as the hon. Home Minister of the country, stern action against those responsible. The whole country will be with you; the whole House will be with you, in taking stern action against them. As I mentioned here, cutting across party lines, cutting across differences of opinion, everybody in the country has already expressed his anguish, his anxiety, on this very unfortunate incident.

Sir, I would also like to know from the hon. Minister as to why the attack against women was not mentioned in the Minister's statement? The electronic media as well as the print media reported it. Everybody knows it. Such a responsible statement has come from the hon. Home Minister, but the attack against women, the second most unfortunate incident, has not found a mention. So many other things have been mentioned. The *modus operandi* is also mentioned; the nudity is explained.

I would like to know from the hon. Minister, as has already been demanded, whether the Minister is ready to order an urgent emergency inquiry into this. I would like to say--if it is helpful, you may please try--at least, think of sending some Members of Parliament to Moradabad to verify the situation. The most noteworthy feature of this attack is that all those who have suffered belong to the very economically and socially poor sections of the society--minorities, dalits and other classes. This has created an atmosphere of fear in the minds of those sections of the society. I would like to request the hon. Home Minister to do something urgently to remove

this atmosphere of doubt from the minds of these sections of the society and to ensure that the spirit of justice is maintained and nothing wrong happens in the country to question the spirit of justice. If the people responsible for this are from the criminal tribe, then it is very easy to identify the criminals. If this tribe can be identified, then why is there delay in taking action? Why are you not taking them into custody? This is a very unfortunate situation.

There is the State Government. We are not bringing politics into it. But the hon. Minister, as the Central Minister, and the Government should take action in their own capacity. Thank you.

श्री रवि शंकर प्रसाद (बिहार) :उपसभाध्यक्ष जी, मेरा एक व्यवस्था का सवाल है, जिसे मैं रूल 238 और 238(ए) के अंतर्गत उठा रहा हूं। हमारे सदस्य गांधी आज़ाद जी के प्रति मेरा पूरा आदर है, लेकिन अगर आप रूल 238 को देखेंगे जो रूल 235 से शुरु होता है, रूल्ज़ टू बी आब्ज़र्व्ड बाय मैंबर्ज़, उसमें अगर आप 238 की उपधारा 7 का अध्ययन करेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, Utter, treasonable, seditious or defamatory words. तो किसी जाति विशेष के बारे में डिफेमेटरी वर्ड्ज़ कहना मुझे लगता है कि उसको थोड़ा इग्नोर करने की आवश्यकता है और 238(ए) के प्रोविज़ो को अगर आप देखेंगे तो, Provided that the Chairman may at any time prohibit any Member from making any such allegation if he is of the opinion that such allegation is derogatory to the dignity of the council or that no public interest is served by making such allegation. तो किसी जाति विशेष के बारे में एलीगेशन लगाना यह इस सदन की डिग्निटी के अनुसार नहीं होगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : ठीक है। ...(व्यवधान)...

श्री जनेश्वर मिश्र : सवर्ण कोई जाति नहीं है। ...(व्यवधान)...

प्रो. रामदेव भंडारी (बिहार) : जाति की बात की थी ...(व्यवधान)...

श्री जान गुफरान ज़ाहिदी : महोदय, अगर यह मान लिया जाए स्टेटमेंट में आपराधिक ट्राइब्ज़ लिखा हुआ है, क्रिमिनल ट्राइब्ज़ ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : आप बैठिए। देखिए, जो आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उसमें 238(ए) धारा यहां लागू नहीं होती है क्योंकि वह मैम्बर्ज़ से संबंधित मामला है। जहां तक जाति का प्रश्न है, उन्होंने जाति की मनोवृत्ति की बात कही है, किसी जाति का नहीं कहा है। फिर भी मैंने माननीय सदस्य से अनुरोध किया था कि ऐसी कोई बात न कहें जिससे किसी जाति विशेष को ठेस पहुंचे, अपनी बात कहते समय वह इस बात का ध्यान रखें। यह मैंने उनसे निवेदन कर दिया था। ...(व्यवधान)...

श्री रमा शंकर कौशिक : माननीय मंत्री जी के बयान में यह जो क्रिमिनल ट्राइब्ज़ लिखा है वह भी गलत है, वह नहीं होना चाहिए। ...(व्यवधान)... आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने किया है यह बात तो हम जानते हैं। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : नहीं, उस बयान में यह है कि जो पर्टिकुलर ट्राइब कम्युनिटी है उसको आपराधिक घोषित किया जा चुका है, यह उन्होंने कहा है। और यह ब्रिटिशकाल का उल्लेख है। ...(व्यवधान)...

श्री रमा शंकर कौशिक : उत्तर प्रदेश में अब ऐसी कोई जनजाति नहीं है। अब वह जनजाति ऐसी नहीं है। ...(व्यवधान)... क्या आज हम ब्रिटिश काल में जीवन-यापन कर रहे हैं? ...(व्यवधान)...

श्री गांधी आजाद : जातिविहीन कहा जा सकता है ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : ठीक है, मंत्री जी जब उत्तर देंगे तो इसको देख लेंगे। ...(व्यवधान)...

SHRI ABANI ROY (West Bengal) : Sir, It has been stated in the statement, "My officers tell me that this is the *modus operandi* of certain tribes which had been notified earlier during the British period as "criminal tribes". Does the Indian Government up till now think them as criminal tribes? I would like to know which those tribes are. Where were they during these 54 years? How after this heinous crime they have come into the picture? What had the Government been doing during all these 54 years about these criminal tribes? Sir, either this sentence should be deleted or you should say only 'criminal'. It should not be 'criminal tribes' as uttered by the Britishers.

SHRI R.S. GAVAI (Maharashtra): Sir, I have a Constitutional point. *...(Interruptions)...* Sir, as a matter of fact, it is stated in the statement of the hon. Home Minister, it is stated that 'certain types of tribes which had been notified earlier during the British period as "criminal tribes". Now what is the relevance of British time now, after Independence, after 54 years? As a matter of fact, the Constitution recognises a citizen. The Scheduled Castes and Scheduled Tribes are there. Now, to designate them as 'criminal tribes', I think, is out of relevance.

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : गवईजी, ये सारे जो स्पष्टीकरण यहां पूछे हैं, माननीय मंत्री जी जब उत्तर देंगे तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वह इसको भी कवर करें।

SHRI P.G. GAVAI: Sir, I, therefore, request the hon. Minister that it is not befitting to declare certain types of tribes as criminal tribes and he should delete these words while replying to the debate.

श्री कलराज मिश्र (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जी, 22-23 जुलाई की रात को मुरादाबाद, सिरसावन में जो घटना घटित हुई, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। महोदय, जो तथ्यात्मक स्थिति का वर्णन किया गया है, उस की जानकारी मैंने भी मुरादाबाद के अपने विधायक और वहां

के प्रदेश के पदाधिकारियों से प्राप्त की है। उन्होंने उस क्षेत्र में जाकर जांच की है और जांच के पश्चात् यह पाया है कि मान्यवर गृह मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में जो तथ्य दिए हैं, वह सही हैं। मान्यवर, यह बात सही है कि हत्या हुई है और लूटपाट नहीं हुई है। यह भी बात सही है कि इस घटना के समान ही मवाना (मेरठ) में भी घटना हुई और उसी प्रकार की घटना लखीमपुर खीरी में हुई। मान्यवर, मैं आप के माध्यम से माननीय श्री कौशिक जी और श्री मिश्र जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मुलायम सिंहजी जब मुख्य मंत्री थे, उस समय भी इसी ढंग की घटना एक ही प्रकार और एक ही हथियार से हुई थी। आप को ध्यान होगा कि हथियार को गले के पास मारकर 5-7 स्थानों में हत्या की गई थी। महोदय, 3-4 वर्ष के अंदर इस प्रकार की घटना आसपास के प्रदेश से कुछ जनजाति समूह के लोग, मैं पूरी जाति का नाम नहीं लेना चाहता, जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, वे इस प्रकार की घटना करते हैं। वे यह लूटपाट के लिए नहीं करते हैं। अब इस बारे में उन की मनोवैज्ञानिक भूमिका क्या होगी, इस का अध्ययन करने की आवश्यकता है। लेकिन उस तरह की वह घटना करते हैं और उसी क्रम में यह घटना भी हुई है। मान्यवर, मुरादाबाद की घटना, मवाना की घटना और लखीमपुर की घटना, उसी प्रकार की घटना हैं और मवाना व लखीमपुर के जो लोग पकड़े गए हैं, ये दूसरे प्रदेश से संबंधित उसी प्रकार की आपराधिक मनोवृत्ति वाले हैं। मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है, उस के अनुसार यहां शायद एक व्यक्ति पकड़ा गया है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं ...(व्यवधान)... यह घटना दु:खद है, लेकिन जो तथ्यात्मक स्थिति माननीय गृह मंत्री जी ने वक्तव्य के माध्यम से दी है, वही ठीक है।

अब जहां तक बलात्कार की घटना है, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि यह लोग उस घटना को दूसरी कहानी देना चाहते हैं। किसी के साथ बलात्कार नहीं हुआ है और इस प्रकार की बात जो बार-बार दोहरायी जा रही है, यह गलत तरीके से सदन को गुमराह करने के लिए दोहराई जा रही है ...(व्यवधान)... मान्यवर, मैं एक नए बिंदु के बारे में गृह मंत्री जी से ...(व्यवधान)... अपेक्षा करूंगा कि वह अपने स्पष्टीकरण के दौरान ...(व्यवधान)... मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि एक लड़की को जबर्दस्ती पकड़ कर यह कहा गया कि तुम कहो कि मेरे साथ बलात्कार की घटना हुई। मान्यवर, उस ने साफ मना कर दिया। मान्यवर, अगर इन्होंने जांच की है तो हम ने भी जांच की है ...(व्यवधान)... इन्होंने टीम भेजी है तो हम ने भी टीम भेजी है ...(व्यवधान)... हम ने भी तथ्यात्मक स्थिति की जानकारी ली है ...(व्यवधान)... आप जरा धैर्यपूर्वक सुनने की कोशिश कीजिए ...(व्यवधान)... कोई ऐसा नहीं है कि आप की इच्छा के अनुरूप ही हम आप की बात मानें ...(व्यवधान)... तथ्य सुनने का धैर्य रखिए। मैं स्पष्टीकरण मांग रहा हूं। माननीय गृह मंत्री जी यह बताने का कष्ट करें कि इसी प्रकार की घटना ...(व्यवधान)... दो, तीन या चार वर्ष पूर्व इसी ढंग की हुई थी क्या? ...(व्यवधान)... मान्यवर, मैं आप के माध्यम से यह भी पूछना चाहता हूं, माननीय गृह मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करें कि क्या मुरादाबाद से यह जानकारी प्राप्त हुई कि किसी महिला को जबर्दस्ती यह कबूल करने की कोशिश की गयी है कि तुम्हारे साथ बलात्कार हुआ है और क्या उस ने मना कर दिया और जानबूझकर यह कहानी बनाई जा रही है? मान्यवर, मैं इतना ही जानना चाहता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : श्री एच.के. जवारे गौडा। ...(व्यवधान)...

श्रीमती सरोज दुबे : महिला के साथ बलात्कार की बात आप सुन नहीं सकते ...(व्यवधान)...

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल) : मान्यवर, यह बड़े अफसोस की बात है कि सब से ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। ...(व्यवधान)... आप महिलाओं का साथ नहीं देते ...(व्यवधान)... यह पूरे समाज की भावना व्यक्त कर रहे हैं। ...(व्यवधान)... महिलाओं की बात को आप दबा रहे हैं ...(व्यवधान)... यह सदन उस सच्चाई को नहीं मान सकता ...(व्यवधान)... सच्चाई सामने आनी चाहिए ...(व्यवधान)...

SHRI H.K. JAVARE GOWDA (Karnataka): Mr. Vice-Chairman, Sir, I want to seek two or three clarifications from the hon. Home Minister on the statement regarding the killing of six persons at Sirsawan, Moradabad District on 22/23rd July, 2001. He cited two other incidents which took place on 17/18th July. I feel this situation is not only prevailing in Uttar Pradesh, but in Karnataka, Andhra Pradesh and Tamil Nadu also. The Home Minister also mentioned about certain tribes which had been notified earlier during the British period as "criminal tribes". The main occupation of this tribe is committing thefts, looting, committing murders and dacoity. In Karnataka, one gang known as the Dandu Palya Gang is operating. It has been reported in the press that every week they are committing one or two murders in Bangalore city. May I know from the Home Minister what steps the Government have taken after the incident occurred in Meerut District on 17/18th July. If the State Government knew that "criminal tribes" were operating in that part of the State, then, they should have taken preventive action. Then, perhaps, the third incident on 26/27th July could not have occurred. I feel the police in Western Uttar Pradesh have not taken proper action; and they are not up to the mark.

As we all know, dacoities, murders and thefts are rising alarmingly in the country. Innocent people are being killed. A group of persons are operating. I don't want to call them as a tribe. They are indulging in robbery and dacoity. In view of these incidents, what preventive action the Home Minister proposes to take so that in future such incidents do not recur? Thank you.

श्री विजय जे. दर्डा (महाराष्ट्र) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत खेद है कि इस प्रकार से इतनी शर्मनाक और भयानक घटना हुई है और इस पर यहां जिस ढंग से चर्चा हुई है, यह जो बयान आया है, यह मुख्यमंत्री का है या गृह मंत्री का है, इस वक्तव्य में ऐसी किसी भी बात का जिक्र नहीं हुआ है जिसमें महिलाओं के साथ हुए अत्याचार और बलात्कार की बात सामने आई हो। वहां पर किसी पुलिस कर्मचारी की टोपी पाई गई। यह प्रश्न किसी राजनीति का नहीं है या किस राज्य में होता है या किस पक्ष का राज्य है या कौन लोग हैं। मैं मानता हूं कि यह प्रश्न इससे ऊपर है और जो लोग इसमें मारे गए हैं या घायल हुए हैं वे निष्पाप, बेगुनाह और गरीब तबके के लोग थे। न किसी प्रकार की वहां लूट हुई थी और न ही किसी प्रकार का ऐसा वातावरण था। एक अल्पसंख्यक ...(व्यवधान)...

श्री संघ प्रिय गौतम : उपसभाध्यक्ष जी, क्योंकि मंत्री महोदय को वोटिंग के लिए दूसरे सदन में जाना है; अगर ज्यादा पूछने वाले हों तो ...(व्यवधान)...

श्री राजू परमार (गुजरात) : आप कौन हैं ...(व्यवधान)...

श्री संघ प्रिय गौतम : हम भी हैं पूछने वालों में। या तो आगे पूछलें या विदड्रा करालें या फिर बुला लें। मेरा भी नाम है इसमें। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : चलिए।

श्री विजय जे. दर्डा : आदरणीय गृह मंत्री जी स्वयं इतने पॉवरफुल हैं, इतने सक्षम हैं कि किसी राज्य से रिपोर्ट लेकर सदन में देने की आवश्यकता होगी ऐसा मैं नहीं मानता। स्वयं उनके पास में सारी सुविधाएं हैं और जो बात हम लोगों ने सुनी हैं, पढ़ी हैं कि वहां पर जिस ढंग से हत्याएं हुई, महिलाओं पर अत्याचार हुए अगर ऐसा है तो बहुत घृणित है और इसमें कानून व व्यवस्था का प्रश्न है। फिर यह जो स्टेटमेंट आया है तो यह क्या है? जो यह घटनाएं हुई हैं जैसा कि पढ़ा है वह सत्य नहीं है तो मैं चाहूंगा कि गृह मंत्री जी इसका खुलासा करें। यह प्रश्न किसी राजनीति से जुड़ा है मैं ऐसा नहीं मानता हूं और इसलिए मैं फिर एक बार उनसे दरख्वास्त करुंगा कि अगर इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी आज तक कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ यह भी एक चिंता का विषय है।

श्रीमती चन्द्रकला पांडे (पश्चिमी बंगाल) : मैं शायद अंतिम प्रश्नकर्ता हूं इसलिए मैं बहुत संक्षेप में कुछ प्रश्न पुछूंगी। मेरा पहला प्रश्न है ...(व्यवधान)...

श्री संघ प्रिय गौतम : हम भी हैं।

श्रीमती चन्द्रकला पांडे : आप भी हैं, तो आप तो यहां वितंडावाद खड़ा कर देंगे।

मेरा पहला प्रश्न है कि यह जो रिपोर्ट है जैसा कि मेरे और सांसद मित्रों ने कहा है कि यह बड़ी ही अपूर्ण, अविश्वसनीय और काफी कुछ असत्य है। इसलिए मेरी भी मांग होगी कि एक पूर्ण और विश्वसनीय रिपोर्ट कुछ दिन के बाद यहां लाई जाए जिस पर हम चर्चा करें। दूसरी बात यह है कि इस घटना के कुछ दिन बाद ही हमारे कुछ सांसदों की एक टीम वहां गई थी और जो उन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन किया उसमें और इस रिपोर्ट में कहीं कोई तालमेल नहीं है। अगर आप छठवां अंश देखें जिसमें यह बताया है कि किसी भी ग्रामीण ने कोई शोरगुल नहीं किया। ग्रामीण कोई गूंगे-बहरे तो नहीं थे कि उन्होंने शोरगुल नहीं किया। मर्डर से पहले उन्हें बेहोश किया गया था जैसा कि हमारे और साथियों ने कहा कि उनकी नाक में रूई मिली। तो यह चर्चा यहां क्यों नहीं है? हमलावरों को किसी ने देखा नहीं। क्या वे दिल्ली के बन्दर की तरह आए और अदृश्य हो गए? यह अजीब घटना और अजीब तरह की रिपोर्ट आई है। एक और तथ्य है जो मुझे बड़ा ही खेदजनक लग रहा है। गृह मंत्री जी ने कहा है कि मेरे अधिकारियों ने मुझे बताया है कि यह कार्यप्रणाली कुछ एक जनजातियों की है जिन्हें ब्रिटिशकाल में पहले आपराधिक जनजातियों के रूप में घोषित किया गया था। यह ब्रिटिश मानसिकता थी और ब्रिटिश मानसिकता के अनुसार इन लोगों को आपराधिक जनजातियां माना गया था। आजाद भारत में इतने दिनों के बाद क्या हमारी सरकार आज भी इन्हें आपराधिक जनजाति मानती है और अगर मानती है तो यह बहुत शर्मनाक है? इस तरह यह जो वारदात हुई है इस पर एक पर्दा डालने की कोशिश की

गई है। मैं यह पूछना चाहूंगी कि अगर यह आपराधिक जनजाति इसी तरह से काम करती रही तो क्या इस घटना के पहले की इनकी अन्य अनेक घटनाओं, अनेक वारदातों का आपके पास कोई रिकार्ड है? इन्हें हम चिन्हित कैसे करेंगे अपराधिक जनजाति? अगर आपने कर ही दिया है ब्रिटिश मानसिकता को मानते हुए तो तथाकथित आपराधिक जनजाति के जो लोग हैं उन्होंने इससे पहले ऐसी लूट, डकैती, मारपीट या बलात्कार की कितनी घटनाएं की हैं तथा क्या आपके रिकार्ड में भी है या उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं रोज हो रही हैं और यह एक घटना सामने आ गई इसलिए आपने अपनी रिपोर्ट में इस तरह का गोलमोल जिक्र कर दिया? आप यह कह रहे हैं कि मेरे ऑफिस ने यह बताया, तो मेरे ऑफिस से क्या तात्पर्य है? यू.पी. में लखनऊ के जो अधिकारी हैं उनकी जांच से क्या कोई तथ्य सामने आया है अथवा दिल्ली में बैठे-बैठे यह बना दी गई है?

मेरा एक प्रश्न और है दूसरे खंड में जो लोग मरे हैं उसमें उनके नाम हैं, वे एक विशेष जाति, अल्पसंख्यक जाति से संबंध रखते हैं। पांचवे में जो लोग मरे हैं उनके नाम वहां पर क्यों नहीं हैं, आपको उनके नाम भी देने चाहिए थे?

एक और चीज जो बड़ी ही रहस्यमय लगती है वह यह है कि ये लोग चुपचाप आते हैं और मार करके चले जाते हैं, कोई गांव में नहीं सुनता है लेकिन पुलिस वाले वहां आ जाते हैं। हमारे कुछ साथियों ने बताया कि पुलिस वाले डर से कांप रहे थे तो क्या इसमें उनकी भी बराबरी की मिली-भगत थी? मेरा अंतिम प्रश्न है कि यहां जो लोग मारे गये हैं उनके परिवार वालों को मुआवजे की कितनी राशि निश्चित की गई है? वह भी हमें बताने की कृपा करें।

*श्री के.एम. खान (आन्ध्र प्रदेश) : धन्यवाद उपसभाध्यक्ष महोदय। होम मिनिस्टर साहब ने अपने बयान में जो बातें कही हैं वे बिल्कुल गैर-तशफ्फीबख्श हैं। ऐसा लगता है कि असल मामले से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए इस वाकिये से दो और वाकियात को जोड़ दिया गया ताकि इसकी संगीनी कम हो जाए, ग्रेविटी कम हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि यह हमारे होम मिनिस्टर साहब की कोशिश है। जो बातें हुईं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि जब हम वहां गए थे, जो लोग मरे थे हम उनके कुनबे से मिले, उनको देखा तो उनकी सूरत यह थी कि उनकी आंखे पथराई हुई थीं, वे सरापा पत्थर बन गए थे, वे बात करने के काबिल नहीं थे, वे होश में नहीं थे। जिस महिला के साथ बलात्कार हुआ वह होश में नहीं थी, यह वहां की सूरतेहाल है। छोटे बच्चे जिनके साथ बरबरियत हुई, वे उसका बयान करने से क़ासिर थे, ऐसी वहां की सूरतेहाल है। होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि मुरादाबाद के साथ-साथ और बाज जगहों पर ऐसा हुआ। जैसाकि मैंने कहा कि पहले यह तवज्जो हटाने की कोशिश है, मुरादाबाद के इस वाकिये से और जो बातें कहीं गई हैं उससे यह पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड आर्डर की सूरतेहाल वहां कैसी है और उससे वहां के लोग, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो अक्लियत तबके के लोग हैं उनके अंदर एक अदम तहफ्फुज का अहसास पैदा हुआ है, इनसेक्योरिटी का अहसास पैदा हुआ है। जब हम चारों तरफ देख रहे थे तो हमको हर शख्स यह कह रहा था कि हमारी सुरक्षा की क्या बात है? क्या हमारा गरीब होना हमारा जुर्म है। उनका ऐसा अहसास था और खासतौर पर जो अल्पसंख्यक हैं, जो अक्लियत के लोग हैं, उनको यह अहसास था, उत्तर प्रदेश के अंदर उनका तहाफ्फुज खत्म हो चुका है क्योंकि इस तरह के

* Transliteration of the speech in Persian script is available in the Hindi version of the debate.

वाकियात उत्तर प्रदेश में रोजमर्रा का मामला बन गया है।

एक दो बातें हैं जिनका मैं खाली हवाला दूंगा। इस वाकये को हुए 12 दिन हो गए हैं लेकिन यह दुख की बात है, शर्म की बात है कि आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और किसी को पकड़ा नहीं गया है और यह कहा जा रहा है कि जो ट्राइब्ज हैं, जो क्रिमिनल ट्राइबज हैं वे इसके लिए जिम्मेदार हैं। मैं समझता हूं कि आज के इस दौर में जब कि भारत से ब्रिटिश सरकार के काल को खत्म हुए जमाना हो गया किसी जाति को क्रिमिनल कहना मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा अफसोस की कोई बात नहीं होगी।

सदर साहब, एक-दो बातें और हैं। मुआवजे की बात है। जिन लोगों का इलाज दवाखाने में हो रहा है, पता नहीं उनके इलाज का पैसा कौन देगा? आपने कहा कि एक लाख 25 हजार रुपया दिया गया है लेकिन यह इलाज के लिए काफी नहीं है। जो लोग मरे हैं उनको कितना मुआवजा दिया गया है और नहीं दिया गया है तो मैं सदन के सामने आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जो मरने वालों के परिवार हैं उनको कम से कम पांच-पांच लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। इसी तरह से जो दवाखाने में हैं उनका सरकारी खर्चे पर इलाज किया जाए क्योंकि उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, उनके घर में ढंग का सामान नहीं है। वे लोग दवाखाने का बिल अदा नहीं कर सकते हैं, वे बहुत परेशान हैं, उनका बिल कौन अदा करेगा? वे लोग परेशान हैं कि यह बिल कौन अदा करेगा। इसके साथ साथ अदालती जांच की मांग हुई, ज्यूडीशियल प्रोब की मांग हुई। वह मांग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जहां पर यह सारा वाकया हुआ, वहां पर पुलिस के कपड़ों के टुकड़े पाए गए, उनकी टोपी पायी गयी, उनके स्टार्स पाए गये। अगर ऐसे वाकये की जांच- जिसमें पुलिस के ऊपर शुबहा हो रहा है, नीडल ऑफ ससपीशियन पुलिस के ऊपर जा रही है - अगर आप पुलिस से करवाते हैं तो लोगों को न्याय नहीं मिल सकता। इसलिए मैं यह मांग करता हूं कि इसकी ज्यूडीशियल इन्क्वायरी करवाई जाए। इसके साथ साथ जो लोग इसमें इनवॉल्व हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इस बात का प्रयास किया जाए, इस बात की कोशिश की जाए कि वहां के जो अकलियती के लोग हैं, वहां के जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उनके अंदर सिक्योरिटी का अहसास पैदा करने के लिए सरकार फौरी इक़दामात करे वरना आज उनका अपना अहसास यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी कोई सुरक्षा नहीं है, उनका कोई तहफ्फुज़ नहीं है। मुझे यकीन है कि होम मिनिस्टर साहब इन सब बातों की सफाई देंगे। धन्यवाद।

SHRI KA. RA. SUBBIAN (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, from a perusal of the statement of the hon. Home Minister, it can be seen that, within 10 days, not only a brutal attack has been made on the minorities and the downtrodden but also a heinous crime has been committed on them, and their valuable lives have been snatched away by the brutal attack. I request the hon. Home Minister to give proper and suitable instructions to the State Government so that the law is set in motion, the investigation is completed and the real culprits involved in these three incidents are arrested. I request the hon. Minister to find out whether there is any force behind this, whether there was anything instrumental in driving these people to commit this kind of a heinous crime and what was the

reason behind the crime. I urge the hon. Home Minister to provide proper security and protection to the remaining members of the bereaved families. We understand from the statement that the State Government has provided medical assistance to the tune of Rs.1,25,000 for medical treatment. My request to the hon. Home Minister is that adequate, proper and suitable compensation be paid to the remaining members of the affected and bereaved families. With these words I conclude my submission.

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल (उत्तर प्रदेश) : धन्यवाद महोदय, इस सदन में मुझे तीन वर्ष हो गये हैं। ...(व्यवधान)... उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान चाहूंगा।

एक माननीय सदस्य : हम लोग सुन रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल : महोदय, मैं आपका ध्यान चाहूंगा। ...(व्यवधान)... इस सदन में मुझे तीन वर्ष से कुछ ऊपर हो गये हैं पर जितना अधिक आज मैं अपने आपको लज्जित महसूस कर रहा हूं - ऐसे उच्च सदन में ऐसी बातें सुनकर, इतने भव्य सदन में ऐसी बातें सुनकर, जो नितांत मिथ्या पर आधारित हैं। मैं अभी आपके सामने जो हकीकत है, वह रखना चाहता हूं। क्योंकि इस बात पर जब चर्चा हुई तो मेरी बहन बहुत आक्रोषित थीं, बहुत उत्तेजित थीं जब माननीय कलराज जी बात कर रहे थे। उनकी उत्तेजना बिल्कुल सही होती, अगर बलात्कार हुआ होता। किसी भी महिला के साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ।

श्रीमती सरोज दुबे : गृह मंत्री जी इसकी जांच करवा लें और जब यह बात गलत निकल जाए तब हमसे कह दें।

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल : तब कुछ नहीं। ...(व्यवधान)... अगर यह बात साबित हो जाए ...(व्यवधान)...

श्रीमती सरोज दुबे : यह बहस बिल्कुल बेबुनियाद है। ...(व्यवधान)...

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल : उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरी बात पूरी सुनी जाए। अगर यह बात साबित हो जाए। अगर यह बात साबित हो जाती है तो यह जो इतना मिथ्या प्रचार हुआ है, जो इस पर राजनीति की रोटी सेकी गई है, इस मिथ्या प्रचार के लिए क्या कोई माफी मांगेगा? ...(व्यवधान)... उपसभाध्यक्ष जी, मैंने इसकी जांच कराई और मैंने इन तीनों महिलाओं की मेडिकल रिपोर्ट अपने पास रखी है। किसी के साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ है। यह बिल्कुल मिथ्या बात है। दूसरी बात सुनिए ...(व्यवधान)... मुझे बोलने दीजिए। कहते हैं कि पहले नाक में रूई का फाया डाला गया और फिर बेहोश किया गया। नाक में एक फुलहेरी भी डाल दीजिए तो आदमी तत्काल उठ जाएगा। कुछ तो सोचना चाहिए,..

SHRI KHAN GHUFRAN ZAHIDI: This is correct. This is the police's version. ...*(Interruptions)*...

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल : आप मेरी बात सुनिए। यह तरीका ठीक नहीं है।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : आप अपनी बात कहिए।

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल : यह कहा गया कि उनके सारे कपड़े उतारे गए। कोई कपड़ा नहीं उतारा गया। यह बिल्कुल मिथ्या है। अगर ये बातें ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : सिंहल जी, आप प्रश्न पूछें, मंत्री जी को 6.30 बजे दूसरे सदन में जाना है।

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल : यहां पर आरोप लगे हैं, मैं उनका जवाब दे रहा हूं। ...(व्यवधान)... जो बातें मैंने सुनी हैं ...(व्यवधान)... जिन क्रिमिनल ट्राइब्स का जिक्र हुआ है ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : आप बैठिए। सिंहल जी, मंत्री जी का जो वक्तव्य आया है उस संदर्भ में आप स्पष्टीकरण पूछें। जैसा मैंने आपसे आग्रह किया है मंत्री जी को दूसरे सदन में जाना है। आप स्पष्टीकरण पूछिए। ...(व्यवधान)...

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल : उस संदर्भ के संदर्भ में ...(व्यवधान)... यह कहा गया कि आजादी के 50 वर्ष बाद भी क्रिमिनल ट्राइब कोई चीज नहीं है। हां, कोई चीज नहीं है। कोई भी ट्राइब क्रिमिनल ट्राइब नहीं कहलाती। लेकिन जिनके जो रवैये थे, उनका वह रवैया आजादी के बाद, 15 अगस्त के बाद बदल नहीं गया। मैं झांसी में था वहां पर एक ट्राइब था। मैंने केवल नैतिक शक्ति से उनको सरेंडर करवाया था। वे मेरे सामने सरेंडर हुए। 43 लोग थे और 4 हजार केसेज उन्होंने कन्फेस किए थे। तो यह नहीं था, कि उनका जो जरायम पेशा था, वह खत्म हो गया। लेकिन इतना ही नहीं था। उनके रिहैबिलीटेशन के काम के लिए मैंने बहुत कोशिश की और उनको जमीन दिलवाई। जो इस प्रकार के ट्राइब्स होते हैं उनका अपना एक विशेष तरीका होता है।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : आप स्पष्टीकरण पूछिए।

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल : मुझे खुशी होती अगर मेरे भाई यह कहते कि मुरादाबाद के लोगों के परिवारों को जिस तरह पांच लाख रुपये दिए गए वैसे ही उनको भी दिये जाते, जो लखीमपुर खीरी, सीतापुर या मवाना में पीड़ित हुए। ...(व्यवधान)... इस देश में अगर माइनारिटीज के साथ कोई आफेंस होता है तो इस बात से आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। जो जरायम पेशा लोग होते हैं उनकी अपनी मोडस आपरन्डी होती है। उस मोडस आपरन्डी को देखते हुए यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह किसने किया होगा और इसी अंदाजे से यह पता चला कि 110 लोगों का, मोमिन गैंग हरियाणा में है ..

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : स्पष्टीकरण पूछिए।

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल : मोमिन गैंग 110 सदस्यों का गैंग है। जहां तक एफआईआर का ताल्लुक है, मैं माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या उसकी एफआईआर लोगों ने भूरा नाम के आदमी का अंगूठा लगाकर लिखवायी थी? क्या वह एफ.आई.आर.उन्हीं के रिश्तेदार द्वारा जिसका नाम था हमील अली उसके हाथ से लिखी हुई है और उसमें 396 का मुकदमा बनता है, इस बात की ज़रा जानकारी कर के सदन को बता दें क्योंकि यहां कहा जा रहा है कि कोई डकैती हुई नहीं है, यह कोई और ही चीज़ है ...(व्यवधान)... उन्हीं लोगों ने लिखाई है। यहां के एक सदस्य जब पहुंच गये वहां पर कहा, यह-यह कहो, यह-यह मत कहो, तब यह सारे बयानात आ रहे हैं। ...(व्यवधान)... वहां पर यह सारी बातें 24 तारीख के बाद उठ रही हैं, उससे पहले कोई बात नहीं उठी। यह महिलाओं की जो मेडिकल रिपोर्ट है, यह मैं पेश करना चाहता हूं ...(व्यवधान)... सब चीज़ गलत है, केवल आप ही सही हैं। बहुत अच्छा। ...(व्यवधान)... यह मैं गृह मंत्री जी को दूंगा। एक अन्तिम बात जो यह कही गई थी कि पुलिस इतनी जल्दी पहुंच गई तो पुलिस जल्दी पहुंच जाए तो मुसीबत। इत्तेफाक

से ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : सिंहल जी, आपका स्पष्टीकरण हो गया। अब जैसा मैंने आपसे आग्रह किया था माननीय मंत्री जी को दूसरे सदन में जाना है, आप कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल : ठीक है। धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : माननीय गृह मंत्री जी, जो आपका दूसरा वक्तव्य है वह आप सदन के पटल पर रखना चाहेंगे या वाचन करना चाहेंगे? क्योंकि आपको जाना है तो मुरादाबाद वाले वक्तव्य पर आप स्पष्टीकरण बाद में दे दें।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : कल दे देंगे या जब आप समय तय करें।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : कल पांच बजे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : ठीक है।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : जो स्पष्टीकरण आपने पूछे हैं कल पांच बजे गृह मंत्री जी उनका उत्तर दे देंगे। वह सदन के पटल पर आप रख दें। ...(व्यवधान)... हां, इसका भी स्पष्टीकरण आप कल पूछेंगे। ...(व्यवधान)...

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं सदन के पटल पर रख देता हूं।

कई माननीय सदस्य : यह वक्तव्य पढ़ा जाना चाहिये ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : ठीक है, पढ़ दीजिये। सदस्यों की राय है क्योंकि एक संसद सदस्य की हत्या का मामला है, कृपया उसका वाचन कर दें। स्पष्टीकरण कल पूछ लेंगे।

BRUTAL MURDER OF SHRIMATI PHOOLAN DEVI, MEMBER OF PARLIAMENT

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L. K. ADVANI): On July 25, 2001, Members of the House were naturally shocked when they heard about the ghastly incident in which Shrimati Phoolan Devi, Member of Parliament, was brutally murdered outside her residence.

Preliminary inquiries revealed that she had, on the fateful day, gone to Parliament House Annexe Dispensary for a physiotherapy session at the end of which she and her Personal Security Officer, Shri Balinder Singh, were driven to her residence at 44, Ashoka Road, New Delhi by Shri Raghuraj Singh Shakya, her Party colleague, also a Member of Parliament, in his car. She and her PSO alighted from the car outside her residence at around 1.20 PM and as they were walking towards the entrance gate, the assailants wearing masks fired at them. The PSO returned the fire. Shrimati Phoolan Devi was hit by six bullets from close range. She was rushed to the nearby Dr. Ram Manohar Lohia Hospital where she was declared "brought dead". Her PSO sustained serious bullet injuries and was